संख्या-207/2026/1097/22-2-2024-17(445)/2017

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 17 मार्च,2026

विषय :- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर पुत्र श्री नोखेलाल, जनपद-पीलीभीत की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-20515/प्रो0अनु0(2)-241/2023/(बैठक दिनांक-24.01.2023) दिनांक-09-07-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर पुत्र श्री नोखेलाल, जो मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बंदी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी, रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी, तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हे भुगतना पड़ेगा। इसी चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को सांयकाल 5.00 बजे 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देसी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर दिया जिसमें 05 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 07 अन्य घायल हो गयें। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस० टी० नं0-212/2002, 224/2002, भा0द0वि0 की धारा-148, 436 /149, 307/149, 302/149, 506, 7 सी० आर० एल० ए० एक्ट, 4/25 ए० एक्ट० के अन्तर्गत मा० न्यायालय स्पेशल जज एस०सी०/एस०टी०एक्ट, पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा बंदी की आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 25-12-2022 तक अपरिहार 20 वर्ष, 02 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 04 माह, 28 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 25.12.2022 तक बंदी की आयु 52 वर्ष, 06 माह है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी, रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी, तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हे भुगतना पड़ेगा। इसी चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को सायकाल 5.00 बजे 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देसी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर 07 लोगों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया।

जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 16.12.2022 स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

सिद्धदोष उमाशंकर पत्र श्री नोखेलाल को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की सस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर (बन्दी संख्या-15970) पुत्र श्री नोखेलाल, जनपद-पीलीभीत की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अर्न्तगत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-207/2026/1097(1)/22-2-2024 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।